भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2865
दिनांक 17 मार्च, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अंग प्रत्यारोपण

2865. श्री बी. मणिक्कम टैगोर:
डॉ. टी.आर. पारिवेन्धर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भारत में कोविड-19 के बाद अंग प्रत्यारोपण गतिविधियों में तेजी से वृद्धि हुई है;
(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 2022 में देश में 15,000 से अधिक अंग प्रत्यारोपण हुए जो प्रत्यारोपण की संख्या में 27 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्शाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या मंत्रालय के पास किए गए विभिन्न प्रकार के अंग प्रत्यारोपणों और प्राप्त/प्रस्तावित अंग के स्रोत अर्थात् जीवित अथवा मृत दाता द्वारा दान किए गए अंग आदि के बारे में कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या मंत्रालय की जरूरतमंद रोगियों के लिए स्वैच्छिक अंगदान के बारे में जागरूकता/जागृति कार्यक्रम का प्रसार करने की योजना है ताकि प्रत्यारोपण की मांग में वृद्धि को देखते हुए दाताओं की संभावित संख्या में वृद्धि की जा सके; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ भारती प्रविण पवार)

(क) से (ङ): राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एनओटीटीओ) के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, भारत में कोविड-19 के बाद अंग प्रत्यारोपण कार्यकलापों में वृद्धि हुई है। देश में वर्ष 2022 में कुल 15561 अंग प्रत्यारोपण हुए। यह प्रत्यारोपण की संख्या में लगभग 26% की वार्षिक वृद्धि है। पिछले दो वर्षों में किए गए अंग प्रत्यारोपण और दान किए गए अंग के स्रोत का विवरण नीचे दिये अनुसार है:-

पिछले दो वर्षों के दौरान दान किए गए अंग			
(प्रति वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच)			
2021		**2022**	
मृत	**जीवित**	**मृत**	**जीवित**
1743	10644	2770	12791
कुल = 12387		**कुल = 15561**	

देश में अंगदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। इनमें एनओटीटीओ, 'क्षेत्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (आरओटीटीओ)' और 'राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (एसओटीटीओ)', राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (एनओटीटीओ) के तहत स्थापित तीन स्तरीय संरचना द्वारा सूचना का प्रसार शामिल है; सूचना प्रदान करने, टेली -काउंसलिंग और अंग दान के लिए समन्वय में मदद करने के लिए एक वेबसाइट www.notto.gov.in; टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर (1800114770) के साथ एक 24x7 कॉल सेंटर,; जागरूकता पैदा करने के लिए देश भर में कई गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं, जैसे कि भारतीय अंग दान दिवस का वार्षिक उत्सव, सेमिनार, कार्यशालाएँ, वाद-विवाद, खेल आयोजन, वॉकथॉन, मैराथन में भागीदारी, नुक्कड़ नाटक, भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2022 में जागरूकता स्टाल, एनओटीटीओ वैज्ञानिक संवाद, 2023 आदि; प्रत्यारोपण/पुनर्प्राप्ति अस्पतालों में आईसीयू और अन्य रणनीतिक स्थानों के बाहर अंग दान पर डिस्प्ले बोर्ड लगाए जाते हैं; प्रिंट मीडिया में विज्ञापन; सोशल मीडिया (फेसबुक, ट्विटर, यू ट्यूब चैनल) के माध्यम से ऑडियो और ऑडियो-विजुअल संदेशों का प्रसार; इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि; स्कूली बच्चों के साथ नियमित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जैसे अंगदान के बारे में ज्ञान देने के लिए एनओटीटीओ अभियान की यात्रा और पोस्टर बनाने जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन आदि। सरकार ने मृतक दाता से अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता वाले रोगियों के पंजीकरण के लिए राज्य की अधिवास आवश्यकता को समाप्त करने का निर्णय लिया है। साथ ही, नए सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार, मृतक दाता अंग प्राप्त करने के लिए पंजीकरण की पात्रता के लिए 65 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा को हटा दिया गया है। अब, किसी भी आयु का व्यक्ति मृत दाता अंग प्राप्त करने के लिए पंजीकरण करा सकता है।

*****